न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर,
पीठासीन अधिकारी :—सुभाषचन्द्र आर.ए.एस.

सं. 109 / 2023
सीएमएस : 2023 / 311

1. साधुराम पुत्र श्री प्रभातीराम जाति धानक साकिन मकान संख्या 48 वार्ड संख्या 17 पुराना नया वार्ड संख्या 19 रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़।
2. सन्तलाल पुत्र श्री प्रभातीराम जाति धानक साकिन मकान संख्या 48 वार्ड संख्या 17 पुराना नया वार्ड संख्या 19 रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़।
3. दानी देवी पत्नी नरेशकुमार पुत्री श्री प्रभातीराम जाति बूमरा, हाल निवासी आर्यनगर गली नं. 05 मकान नं. जेड 4—04438 अबोहर तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)।

बनाम

1. कमल कुमार पुत्र प्रभातीराम जाति धानक निवासी वार्ड संख्या 19 नया मकान नं. 49 रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला अनुपगढ़।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार रेवन्यू रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला अनुपगढ़।

—:अप्रार्थीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थानकाश्तकारीअधिनियम

तारीख रजू 18.09.2023

उपस्थितअधिवक्तागण
1. श्री मोहनलाल अधि. प्रार्थीगण।
2. श्री मदनसिंह चारण अधि. अप्रार्थी।

—: निर्णय :— दिनांक :—02.01.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीगण / प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 श्री प्रभातीराम बुमरा के वारिसान है श्री प्रभातीराम बुमरा का स्वर्गवास सन् 2002 में हो गया था। इस कारण हम उनकी जमीन के उत्तराधिकारी होने के कारण हम प्रार्थीगण यह वाद पत्र व प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए अधिकृत है श्री प्रभातीराम की खातेदारी भूमि चक 15 ए.एस.उी पटवार क्षेत्र सतजण्डा ए के पं.नं. 271 / 344 मु.नं. 26 में कि.नं. 25 अर्थात एक मुरब्बा सालम कमाण्उ था इस मुरब्बा के कि.नं. 1 ता 5 के उत्तर की तरफ 1 / 2 बीधा खाला भी है। श्री प्रभातीराम की मृत्यु के बाद हम तीनों प्रार्थीगण एवं प्रतिवादी ही बराबर के हिस्सेदार बन गये। अप्रार्थी सं. 1 कमलकुमार श्री प्रभातीराम का सबसे छोटा बेटा है और पढा लिखा भी है जबकि शेष तीनों प्रार्थीगण दसवी पास भी शिक्षित नहीं है अप्रार्थी हमसे ज्यादा शिक्षित है और होशियार एवं चतुर चलाक है। अप्रार्थी संख्या 1 ने बड़ी होशियार से अपने नाम एक वसीयत श्री प्रभातीराम अपने पिता की नाम की फर्जी बनावा ली और सब रजिस्टार से रजिस्टर्ड करवा ली ऐसा पता चला है जो कि अवैध है प्रभातीराम का स्वर्गवास होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ने तहसीलदार रायसिंहनगर के रोबरू केवल इन्तकाल करवाने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी जिसका निर्णय तहसीलदार रायसिंहनगर ने उसके विरूद्व दिनांक 22.07.2005 को अप्रार्थी संख्या 1 श्री कमलकुमार के विरूद्व निर्णित हो गया इस आदेश के विरूद्व अप्रार्थी [illegible] कुमार ने एक अपील अ. धा. 75(1)(एफ)भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश कर दी जहां हमारी माता श्रीमती सेडू देवी जो कि अ[illegible] और अ[illegible] थी कि अनुपस्थिति में दिनांक 12.06.2007 को निर्णित [illegible] वसीयत और प्रार्थना पत्र तहसीलदार रायसिंहनगर को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देशित कर दिया जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 ने विवादित जमीन के 15

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.28 16:25:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड [illegible]
रायसिंहनगर

AnyScanner

भूमि अपने नाम इन्तकाल करवा ली और शेष 10 बीघा भूमि में से भी अप्रार्थी संख्या 1 ने आधा हिस्सा स्वयं के नाम और आधा हिस्सा दानीदेवी व साधुराम के पक्ष में करवा लिया और प्रार्थी संतलाल से भी कोई फर्जी कार्यवाही करवा कर अपने पक्ष में करवा लिया ओर प्रार्थी संतलाल से भी कोई फर्जी कार्यवाही करवा कर अपने पक्ष में करवा लिये थे सारे इन्तकालों की कार्यवाही खिलाफ कानून थी क्योकि इन्तकाल तो केवल राजस्व इकठा करवोन के लिए होती है। ना कि मालिक खातेदार बनने के लिए और मालिक खातेदार बनने के लिए उपरोक्त परिस्थितियों के अनुसार हमारा हिस्सा भूमि में बनता है और हिस्सा का अलग–अलग बंटवारा करने के लिए हम प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रास्तुत किया है और उसी के अनुसार पटवारी को आदेश दिया जाने बाबत् कि उक्त बटवारा के अनुसार हमारा अलग–अलग कब्जा रेवन्यू रिकार्ड में दिखाये और दे इसी के अनुसार हमे मालिक खातेदार घोषित किया जाये अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा भी जारी की जाये कि अप्रार्थी संख्या 1 हमारे कब्जा में किसी प्रकार की दखल अंदाजी तथा पानी लगाने की पर्ची जारी करवाने, मामला आदि भरने में किसी प्रकार की दखल अंदाजी करने से बाज व ममनु रहे और इस प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा दौराने दावा भी हमारे पक्ष में जारी की जावे। इस समय भी हम प्रार्थीगण साधूराम व दानीदेवी का विवादित भूमि मे से कि.नं. 16 ता 20 पर कब्जा है तथा शेष जमीन पर भी हमारा हिस्सा बनता है जिसे हम अलग से प्राप्त करने के अधिकारी हैं मुझ प्रार्थीया दानीदेवी का कुल मुरब्बा में से 10 बीघा भूमि बनती है ओर इसी प्रकार मुझ प्रार्थी साधूराम की इन्तकाल की कार्यवाही में हमें पक्षकार भी नहीं बनाया गया। अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् अतिक्रमण जारी नही की जाती है तो हमें ना पूरा होने वाला नुकसान होगा जिसका मूल्यांकन मुद्राओं में नहीं किया जा सकेगा। प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद है एवं इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का हे एवं पूर्ण कोर्ट फीस पर तहरीर होकर पेश है। अतः श्रीमान् जी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि यह प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित भूमि पर न्याय की दृष्टि से रसीवर कायम किया जावे अथवा हमारे हिस्से की भूमि पर विधिनुसार 25000 रूपये प्रति बीघा की राशि न्यायालय के खाते में या राष्ट्रीयकृत बैंक में लियन (स्पमद) के रूप में जमा करवाई जावे श्रीमान जी की अति कृपा होगी। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बधित पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से मदनसिंह चारण अधिवक्ता हाजिर होकर जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण एवं हम अपार्थी प्रभातीराम के वारिस होना स्वीकार है। मुझ अप्रार्थी के पिता प्रभातीराम का स्वर्गवास 2002 मे हो गया थो प्रभातीराम के नाम से वाके चक 15 एस.ए.डी. के पंनं. 201/349 मु.नं. 26 में 25 बीघा किला कमाण्ड व इसी मुरब्बा के किला नं. 1 ता 5 के उत्तर की तरफ आधा बीघा खाला होना स्वीकार है। इस प्रकार प्रार्थी वसीयत के मुताबिक कि.नं. 1 ता 15 व शेष 10 बीघे में से 1/4 मेरा हिस्सा 1/4 सन्तराम का हिस्सा जो उसने मुझे जरिये दस्तबरदारी से दिया हुआ है। इस प्रकार ये कुल 5 बीघा जो 21 ता 25 मेरे कब्जे में है। व शेष 5 बीघा 16 ता 20 साधुराम व दानी देवी के पास है। बल्कि मुझ [illegible] के पिता प्रभातीराम ने अपनी स्वतन्त्र इच्छा से व सहमति [illegible] होकर व मेंरी माता व अन्य वारिसान की सहमति से अपनी स्वअर्जित कृषि भूमि में से 15 बीघा भूमि की वसीयत मेरे पक्ष में की थी जो वैध है प्रार्थीगण द्वारा इसको अवैद्य होना गलत दर्ज करवाया है। मुझ अप्रार्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड में इन्तकाल दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.28 16:25:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

करवाने के लिए तहसीलदार रायसिंहनगर के रोबरू प्रार्थना पत्र पेश किया था। लेकिन तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया जिस पर मुझ अप्रार्थी ने तहसीलदार के आदेश के विरूद्व संभागीय आयुक्त बीकानेर में अपील संख्या 33/2005 पेश की थी जिस अपील का निर्णय मुझ अप्रार्थी के पक्ष में हुआ। जिस निर्णय के विरूद्व साधुराम बगैरा ने राजस्व मण्डल राज. अजमेर में निगरानी एलआर संख्या 6870/2013 पेश की जो दिनांक 25.10.2018 को खारिज की गई। वह अन्तिम निर्णय था। इस प्रकार प्रार्थी वसीयत के मुताबिक किला नं. 1 ता 15 व शेष 10 बीघा मे से 1/4 मेरा हिस्सा व 1/4 सन्तराम का हिस्सा जो उसने मुझे जरिये दस्तबरदारी से दिया हुआ है। इस प्रकार ये कुल 5 बीघा जो 21 ता 25 मेरे कब्जे में है। व शेष 5 बीघा 16 ता 20 साधुराम व दानीदेवी के पास है। प्रार्थीगण किसी प्रकार से भी उक्त भूमि पर अस्थाई निषेज्ञाधा पाने के विधिक अधिकरी नहीं है। अप्रार्थी स्व. पिता द्वारा की गइ वसीयत की कृषि भूमि व अपने स्वयं के हिस्सा व वादी संख्या 2 द्वारा दिये गये हिस्सा पर काबिज काश्त हूँ। प्रार्थीगण किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के विधिक अधिकारी है और ना ही उनको ना पूरा होने वाला नुकसान होगा बल्कि ना पूरा होने वाला नुकसान मुझ अप्रार्थी को होगा। उक्त कृषि भूमि का कब्जा काश्त वसीयत अनुसार व हिस्सा अनुसार मुझ अप्राथी का है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मौजूदा सूरत में मय भारी हर्जाना खारिज फरमाया जावे।

2. प्राथीगण के विद्वान अधिवकता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई की जो शामिल मिसल की गई। विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व स्थाई निषेज्ञाधा जारी करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में अपने जबाव प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया। प्रार्थी प्रभातीराम के नाम से वाके चक 15 एस.ए.डी. के पंनं. 201/349 मु.नं. 26 में 25 बीघा किला कमाण्ड व इसी मुरब्बा के किला नं. 1 ता 5 के उत्तर की तरफ आधा बीघा खाला होना स्वीकार है। इस प्रकार प्रार्थी वसीयत के मुताबिक कि.नं. 1 ता 15 व शेष 10 बीघे में से 1/4 मेरा हिस्सा 1/4 सन्तराम का हिस्सा जो उसने मुझे जरिये दस्तबरदारी से दिया हुआ है। इस प्रकार ये कुल 5 बीघा जो 21 ता 25 मेरे कब्जे में है। व शेष 5 बीघा 16 ता 20 साधुराम व दानी देवी के पास है। बल्कि मुझ अप्रार्थी के पिता प्रभातीराम ने अपनी स्वतन्त्र इच्छा से व सहमति से मेरी सेवाओं से खुश होकर व मेंरी माता व अन्य वारिसान की सहमति से अपनी स्वअर्जित कृषि भूमि में से 15 बीघा भूमि की वसीयत मेरे पक्ष में दिनांक 09.091999 की थी जिसकों संभागीय आयुक्त बीकानेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12.06.2007 सही मानते हुए तहसीलदार रायसिंहनगर को वसीयत दिनांक 09.09.1999 के आधार पर इंतकाल की कार्यवाही संपादित करने के आदेश दिये। प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञाना जारी करने का कोई विशेष कारण दिखाई नहीं देता है जिससें प्रार्थी को कोई नुकसान होता है अगर प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इसे अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण को न होकर [illegible] होगी। किसी भी पक्षकारान का हक इस प्रकारण में तय नहीं किया ज[illegible] कि मूल वाद में दोनों पक्षों के साक्ष्य लिये जाकर मेरिट के आधार पर [illegible] है। ऐसी स्थिति प्रथम दृष्टया प्रकरण, अपूणीय क्षति, सुविधा का सं[illegible] को सिद्ध करने में प्रार्थीगण असफल रहे है। अतः प्राथीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार/ खारिज किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.28 16:25:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

SCAN AnyScanner

आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर मूल वाद के साथ सलंग्न की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 02.01.2025 को सुनाया गया।

(सुभाष चन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.28 16:25:15 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner